पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय

निर्णय से अनुमानित 2,97,579 शिक्षक लाभान्वित होंगे

इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 67,548 शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 2,120 शिक्षक, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2,000 व्यावसायिक विषय विशेषज्ञ, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2,24,525 शिक्षक तथा स्ववित्तपोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 1,386 शिक्षक शामिल

योजना के क्रियान्वयन पर 89.25 करोड़ रु0 का वार्षिक व्ययभार अनुमानित

शिक्षक दिवस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव रखा

लखनऊ : 29 जनवरी, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यावसायिक शिक्षा के विषय–विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय–विशेषज्ञों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई0पी0डी0 (अंतर्रोगी विभाग) उपचार की कैशलेस सुविधा अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कतिपय शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया।

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से अनुमानित 2,97,579 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 67,548 शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 2,120 शिक्षक, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2,000 व्यावसायिक विषय–विशेषज्ञ, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2,24,525 शिक्षक तथा स्ववित्तपोषित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 1,386 शिक्षक शामिल हैं।

योजना के क्रियान्वयन पर 89.25 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय भार का अनुमान है। यह व्यय भार प्रति शिक्षक 03 हजार रुपये प्रीमियम की वार्षिक दर से अनुमानित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आय–व्ययक में आवश्यक बजट व्यवस्था करायी जायेगी।

कैशलेस उपचार सुविधा की इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। यह सुविधा राजकीय एवं साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वहीं होंगी, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (एन0एच0ए0) द्वारा समय–समय पर संसूचित की जायेगी। प्रकरण में भविष्य में किसी भी परिवर्धन/ संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

————————